हिन्दुस्तान 02
पटना • गुरुवार • 05 जुलाई 2018

रेरा में रजिस्ट्रेशन से चूके लोगों पर 400% फाइन

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने राज्य में चालू योजनाओं का निबंधन फिर से शुरू कर दिया है। लेकिन, अब इन योजनाओं का निबंधन कराने के लिए बिल्डरों (कंपनियों) को शुल्क का चार सौ प्रतिशत फाइन देना होगा। यह छूट भी केवल एक महीने के लिए दी गई है। उसके बाद ऐसी योजनाओं का निबंधन बंद कर दिया जाएगा। साथ ही, अनिबंधित बिल्डरों और डेवलपरों पर कार्रवाई शुरू होगी।

रेरा में नई योजनाओं के निबंधन के लिए कोई परेशानी नहीं है। ऐसी योजनाओं का निबंधन कभी भी कराया जा सकता है। लेकिन पहले से चल रही योजनाओं के निबंधन के लिए संस्था ने एक महीने का और समय दिया है। यह फैसला खरीदारों की परेशानी को देखते हुए लिया गया है।

दरअसल रेरा ने कह दिया है कि जिन कंपनियों ने निबंधन नहीं कराया है, उनके फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। अनिबंधित कंपनियों और डेवलपरों की सूची देशभर में संबंधित संस्थानों को भेजी जाएगी। ऐसी कंपनियों के जो भी निदेशक या दूसरे पदधारक होंगे वह अपने नाम से कोई दूसरी कंपनी भी नहीं बना सकेंगे। कंपनी को निबंधित करने वाले कार्यालय में उनका नाम काली सूची में डाल दिया जाएगा। इस फैसले के बावजूद अभी कई बिल्डरों ने निबंधन नहीं कराया है। ऐसे में उनसे फ्लैट खरीदने वालों को परेशानी होगी। लिहाजा संस्था ने एक मौका और देने का फैसला किया है। इसी के साथ संस्था ने अनिबंधित बिल्डरों का पता लगाने के लिए सर्वे कराने के फैसले को भी एक महीने के लिए टाल दिया है। इस मौके के बावजूद जो निबंधन नहीं करा पाएंगे उनके लिए सर्वे कराया जाएगा और उसके बाद कार्रवाई होगी।

नई व्यवस्था

- एक माह बाद अनिबंधित बिल्डरों व डेवलपरों पर कार्रवाई शुरू होगी
- जिनका निबंधन नहीं होगा उनके फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं होगी

30 जुलाई तक करा सकेंगे निबंधन

01 माह टला सर्वे का फैसला

04 सौ बिल्डरों ने कराया पंजीयन

12 सौ बिल्डरों के काम करने का है अनुमान